e-mail: sro.vapi@epfindia.gov.in Phone-(0260) 242/976

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, वापी

Regional Office, Vapi

स्नेहदीप कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सीएम 8/5, ने. हाईवे 8, गुंजन, जीआईडीसी, वापी, वालसाड, गुजरात-396195

Snehdeep Commercial Complex, CM 8/5, NH 8, Gunjan, GIDC, Vapi, Valsad, Gujarat - 396195

सं. गुज/क.भ.नि.सं/क्षे.का./वापी/स्टोर/टैक्सी कार फाईल(19)/08 दिनांक:26/04/2018

भाडे पर वाहन लेने के लिए निविदा सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वापी मासिक अधार पर भाडे पर वाणिज्यिक संख्या वाली एक कार के लिए पंजीकृत ट्रेवेल एजेंसी से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वापी के कार्यालय उपयोग के लिए निविदा आमंत्रित करती है।

आपेक्षित वाहन का प्रकार : सेडान कार

नयी कार जो 2016 मोडल की होगी उसे वरीयता दी जाएगी तथा वांछित रंग उजला है।

माह में 30 दिन 2300 कि.मी. तथा 300 घंटे लगभग हेतु निविदा दी जानी है। इच्छुक एजेंसियाँ दिनांक **10/05/2018 समय 4:00 बजे सायं** या उससे पहले अपना निविदा प्रस्तुत कर सकते है तथा निविदा दिनांक **11/04/2018 समय 11:00 बजे सुबह** को खोली जाएगी।

नियम व शर्तें अनुलग्नक– ए, बी एवम सी में दी गई है।

इच्छुक ऐजेंसियाँ अपनी निविदा को उपर दर्शायी गई नियत तिथि को या उससे पहले निम्न पते पर भेज सकते है।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (केयर टेकर)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,

क्षेत्रीय कार्यालय, वापी

स्नेहदीप कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सीएम 8/5, ने. हाईवे 8, गुंजन,

जीआईडीसी, वापी, वालसाड, गुजरात–396195

निविदाकर्ता लिफाफे के उपर **भाडे पर वाहन लेने के लिए निविदा** लिखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वापी बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वापी का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कृपया यह नोट करे कि यदि निविदा बंद लिफाफे में प्राप्त नहीं हुआ है और बंद लिफाफे के उपर उपरोक्त उपरिलेख नहीं हो तो स्वीकृत/ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संविदा अनुबंधन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधन शुरू किया जाएगा। हालांकि, सेवाओं को संतोषजनक पाया जाता है, वही नियम व शर्तों पर, एक समय में अधिकतम एक वर्ष के लिए, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए इसे आगे बढाया जा सकता है।

([illegible])

सहायक भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्नक – ए / **ANNEXURE "A"**

निविदा का आरूप

FORMAT OF TENDER

1	पंजीकरण संख्या Registration No.	
2	वाहन क्लास Vehicle Class	मोटर कैब /Motor cab
3	विनिर्माण वर्ष Mfg. Year	
4	उपयोगी ईंधन Fuel Used	
5	इंजन संख्या Engine No.	
6	चेसिस संख्या Chasis No.	
7	हॉर्स पावर Horse Power	

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर
रबर मुहर सहित
Name & Signature of Tenderer
With Rubber Stamp

रेट चार्ट प्रति वाहन
RATE CHART PER VEHICLE

01	02	03	04	05	06
अवधि Duration	अतिरिक्त समय Over Time	न्युनतम घंटे प्रति दिन Min. Hours per day	न्युनतम किमी. प्रति माह Min. Kms. Per month	भाडा प्रभार प्रति माह Hire Charges Per month	एक वर्ष में 2300 कि मी से अधिक अतिरिक्त प्रभार Extra Charges beyond 2300 Kms. In one Year
संविदा अवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष के लिए For the period of one year from the date of awarding the contract	रू.................../– प्रति रात एवं अतिरिक्त समय सं. Rs. _ _ / per night & no overtime	10 घंटे 10 Hours	एक वर्ष के लिए 2300 कि.मी. समायोज्य 2300 Km. adjustable for one year.	रू..................../– प्रति माह **Rs --------/- per Month**	रू..................../ प्रति कि.मी. **RS --------/- per KMs**

मैनें निविदा संबंधी सामान्य निबंधन व शर्तें पढ ली है और समझ ली है और उनके अनुपालन के लिए सहमत हुँ।

I have read the General Terms and conditions of this Tender and have understood and agree to abide by the same.

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर
रबर मुहर सहित
Name & Signature of Tenderer
With Rubber Stamp

अनुलग्नक -- सी

नियम व शर्तें:

1. वाहन से संबंधित वाहन चालक/तेल पेट्रोल/डीजल बीमा, कर, मरम्मत एवं रखरखाव सम्बंधित खर्च प्रभार जिस भी नाम से इन्हें पुकारा जाये, द्वितीय पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।
2. चालक एवं वाहन मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य कानूनों के उपबंधों का पूर्णत पालन करेंगे। चालक पूरा समय वर्दी (सफ़ेद सफारी सूट/सफेद शर्ट पेंट) अवश्य पहनेगा। उसकी सेवाऐं नियंत्रण अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप होगी। यदि किसी भी चालक को किसी अधिकारी के निर्देश से हटाया गया है तो उस विभाग के किसी भी अधिकारी के पास काम पर नहीं लगाया जाएगा।
3. द्वितीय पार्टी /चालक अन्धाधुन ड्राईविंग /दुर्धटना आदि के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी आर्थिक भरपाई के लिए अकेले ही पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
4. माइलेज की गणना प्रथम पार्टी के कार्यालय से होगी।
5. वाहन से ईंधन भरने मरम्मत एवं रखरखाव में खर्च होने वाले समय माइलेज में नही लिया जाएगा।
6. यदि वाहन खराब हो जाये अथवा मरम्मत हो रहा हो अथवा अनुपस्थित है अथवा चालक ने शराब पी रखी है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पार्टी आधे घंटे के भीतर दूसरा चालक उपलब्ध करवाएगा। परन्तु यदि द्वितीय पार्टी ऐसा करने में असफल रहती है अथवा उपलब्ध कराया गया वाहन/चालक संतोषप्रद नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पार्टी अन्य चालक एवं वाहन किराये पर लेगें इसके लिए प्रभार की वसूली दंड स्वरूप रू 1500 प्रतिदिन सहित द्वितीय पार्टी से वसूलने का हकदार होगी।
7. वाहन किराये पर लेने सम्बन्धी करार को कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 45 दिनों का नोटिस देकर समाप्त कर सकती है।
8. वाहन एवं चालक क्षेत्र/अंचल से बाहरी अधिकार क्षेत्र में वाहन चलने का पात्र एवं इच्छुक होना चाहिए।
9. द्वितीय पार्टी द्वारा दिए गए मासिक बिलों के आधार पर किराये के प्रभार का अकाउण्ट पांई चैक के माध्यम से आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गतस्त्रोत पर कर काट कर भुगतान किया जाएगा।
10. देय किराया के प्रभार की गणना के उद्देश्य से द्वितीय लोग बुक उपलब्ध कराया जाएगा। लोग बुक का प्रारूप ठीक वैसा, जैसा कि केन्द्र सरकार/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कार्यालयों वाहन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। लोग बुक का रखरखाव द्वितीय पार्टी के द्वारा किया जायगा एवं इसे दैनिक आधार पर पार्टी के स्वयं अथवा इस कार्य हेतु नामित अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराया जायेगा। करार पूर्ण होने के पश्चात् लोग बुक द्वितीय पार्टी द्वारा जमा करायी जाएगी।
11. वाहन/चालक के रिपोर्ट करने की समय सीमा का कड़ाई से पालन की जाएगी तथा अधिक से अधिक की देरी के लिए प्रथम पार्टी अन्य चालक/वाहन किराये पर लेने के इसके लिए प्रभार की वसूली दंडस्वरूप 1000/– प्रतिदिन सहित द्वितीय पार्टी से वसूलने का हकदार होगा।
12. वाहन की मरम्मत एवं रख रखाव की द्वितीय पार्टी के द्वारा समय पर एवं उचित प्रकार से न करने के मामले में प्रथम पार्टी का अधिकार होगा कि वह मरम्मत कराये एवं देय किराया प्रभार से धनराशि को

वसूली करे। यदि वाहन को अच्छी स्थिति में नहीं रखा जाता है तो किराया संबधी करार को 15 दिनों की पूर्व नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा।

13. वाहन/चालक से संबधित सभी खर्च एवं कानूनी औपचारिकता द्वितीय पार्टी द्वारा वहन एवं पूरी की जाएगी।

14. मासिक किराया प्रभार में सभी कर उपकर आदि सम्मलित होंगे यदि इसका प्रावधान अन्यथा विशिष्ट रूप से किया गया हो।

15. द्वितीय पार्टी किराया प्रभार के रूप मे 2300 कि.मी की दूरी के लिए मासिक बिल अगले माह की 15 तारीख अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत करेगी तदुपरान्त प्रथम पार्टी द्वारा भुगतान किया जाएगा परन्तु वाहन के कुल चलने की गणना करार समाप्त होने पर किया जाएगा। अतिरिक्त माइलेज उपरलिखित सीमा से अधिक के लिए भूगतान रू........................... प्रति किमी की दर से किया जाएगा।

16. सभी दिवसों हेतु चालकों एवं वाहनों के ड्युटी घंटे 9:00 बजे पूर्वाहन से 7:00 बजे अपराहन तक होगा। आपातकालीन स्थिति में चालकों को 24 घंटे की ड्यूटी पर रोका जा सकता है जिसके लिए ओवरटाईम का भुगतान किया जाएगा। यदि चालक शराब के नशे में अथवा ड्रग्स के नशे के हालत में पाया जाता है तो रू. 1500 दंड वसूला जाएगा।

17. करार की अवधि एक वर्ष के लिए होगी जिसका प्रभावी दिनांक अनुबंध पुरस्कृत करने से किया जाएगा।

18. अनुलग्नक ख में दी गई दरों पर प्रथम पार्टी द्वारा द्वितीय पार्टी को किया जाने वाला भुगतान पर विचार करते हुए द्वितीय पार्टी प्रथम पार्टी से अनुलग्नक क से अर्जित वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु पारस्परिक करार करती है।

19. प्रथम पार्टी एवं द्वितीय पार्टी को अधिक प्रभार अथवा ऐसी राशि को करार के उपबंध के अनुसार देय करती है के भुगतान करने का पारस्परिक करार प्रथम पार्टी से अनुलग्नक क में अर्जित वाहन किराया पर होने हेतु करती है।

20. द्वितीय पार्टी को ठेका मिलने के 15 दिनों के भीतर के न्यास बोर्ड क.भा.नि. के नाम में वार्षिक राशि का 10 प्रतिशत की राशि को बैंक गारंटी/सिक्युरिटी डिपोजिट प्रस्तुत करनी होगी, जो ठेका संतोषप्रद होने पर लौटा दी जाएगी।

21. कार दो वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए अर्थात कार निर्माण वर्ष 2016 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

22. सभी कानूनी विवाद वापी क्षेत्राधिकार के अधीन है।

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर
रबर मुहर सहित

e mail: sro.vapi@epfindia.gov.in Phone-(0260) 2427976

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, वापी
Regional Office, Vapi
स्नेहदीप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीएम 8/5, नै. हाईवे 8, गुंजन, जीआईडीसी, वापी, वलसाड, गुजरात-396195
Snehdeep Commercial Complex, CM 8/5, NH 8, Gunjan, GIDC, Vapi, Valsad, Gujarat – 396195

No. GJ/EPFO/RO/VAPI/STORE/TAXI CAR HIRING FILE(19)/08 Date 26/04/2018

SHORT NOTICE TENDER FOR HIRING OF VEHICLE

Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office, Vapi functioning at the above address invites sealed quotations from Registered Travelling Agencies for providing one (01) taxi on monthly hire basis for official purposes of EPFO office (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) for station at Vapi-396195.

Type of Car Required: SEDAN CAR

Preference will be given to new car of Model 2016 preferably and desirable color is white
During month: 30 days 2300 K.M and 300 Hrs. (approx.)

Interested parties are requested to submit their quotations on or before 10/05/2018 at 4.00 P.M and the quotations/bids will be opened on 11/05/2018 at 11:00 AM.

The Terms & Conditions are furnished in Annexure: A.B.C

The interested agencies may send their quotations/bids in a sealed envelope at the following address on or before the due date mentioned above:

Assistant Provident Fund Commissioner (Care Taker)
Employees Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour and Employment, Government of India)
Regional Office, Vapi
CM 8/5, Snehdeep Commercial Complex, NH-8, Gunjan, Vapi-396195

The tender should superscribe envelope with **"Quotation for Hiring of Vehicle"**. The Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office, Vapi reserves the right to reject any tender without assigning any reason and the decision of the Employees' Provident Fund Authorities shall be final and binding on parties. It may please be noted that quotation/bid will not be accepted/ entertained if, the same is not received in a sealed condition or sealed cover does not contain the above superscription. The quotation received after due date shall not be accepted. Interested parties may attend the tender opening ceremony as per the stated schedule.

The Contract will be initially for a period of one year from the date of awarding the contract. However, the same can be extended further, for a maximum period of 2 years, One year at a time, on the same terms and conditions, in case services are found satisfactory.

(DINESH VIYYATH)
Assistant P F Commissioner

अनुलग्नक – ए /**ANNEXURE "A"**

निविदा का आरूप

FORMAT OF TENDER

1.	पंजीकरण संख्या Registration No.	
2	वाहन क्लास Vehicle Class	मोटर कैब /Motor cab
3	विनिर्माण वर्ष Mfg. Year	
4	उपयोगी ईंधन Fuel Used	
5	इंजन संख्या Engine No.	
6	चेसिस संख्या Chasis No.	
7	हॉर्स पावर Horse Power	

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर
रबर मुहर सहित
Name & Signature of Tenderer
With Rubber Stamp

अनुलग्नक – बी /**ANNEXURE "B"**

रेट चार्ट प्रति वाहन

RATE CHART PER VEHICLE

01	02	03	04	05	06
अवधि Duration	अतिरिक्त समय Over Time	न्युनतम घंटे प्रति दिन Min. Hours per day	न्युनतम किमी. प्रति माह Min. Kms. Per month	भाडा प्रभार प्रति माह Hire Charges Per month	एक वर्ष में 2300 कि मी. से अधिक अतिरिक्त प्रभार Extra Charges beyond 2300 Kms. In one Year
संविदा अवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष के लिए For the period of one year from the date of awarding the contract	रू.................. ./– प्रति रात एवं अतिरिक्त समय सं. Rs. _ _ / per night & no overtime .	10 घंटे 10 Hours	एक वर्ष के लिए 2300 कि.मी. समायोज्य 2300 Km. adjustable for one year	रू.................... /– प्रति माह **Rs ---------/- per Month**	रू...................../– प्रति कि.मी. **RS ---------/- per KMs**

मैनें निविदा संबंधी सामान्य निबंधन व शर्तें पढ ली है और समझ ली है और उनके अनुपालन के लिए सहमत हुँ।

I have read the General Terms and conditions of this Tender and have understood and agree to abide by the same.

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर
रबर मुहर सहित
Name & Signature of Tenderer
With Rubber Stamp

ANNEXURE-C

Terms & Conditions

1) All expenses/ charges of the driver, oil, petrol/diesel, insurance, taxes, repairs and maintenance etc. of the vehicle, by whatever name called will be borne by the second party.

2) The driver and the vehicle must comply with all the provisions of the Motor Vehicle Act and other relevant laws. The driver must wear the Uniform (White Safari/White Shirt-Pants) at all times. His services will be subject to satisfaction of the Controlling Officer. Any driver once removed on instructions of an Officer shall not be employed with any other Officer in the Department.

3) The second party/ driver will be wholly and solely responsible for and liable to all legal and financial consequences arising out of rash driving/accident etc.

4) The mileage will be counted from the office of the first party.

5) The mileage and the time consumed for fuelling repair and maintenance of the vehicle will be excluded.

6) In case the vehicle breaks down or is under repair or the driver is absent, or the driver is found drunken, alternative vehicle and driver will be provided by the second party within half-hour. However in case second party fails to do so, or the alternative vehicle/driver is not upto mark, the first party will be entitled to hire another chauffer-driven vehicle and recover the charges for the same along with penalty @ Rs. 1500 / per day from the second party

7) The vehicle hire agreement can be terminated by either party after serving 45 days advance notice on the other party

8) The vehicle and the driver should be eligible/willing to travel outside the territorial jurisdiction of the Region/Zone also.

9) On the basis of monthly bills raised by the second party, the hire charges will be paid through account payee cheque after deduction Tax at source as per the Provisions of the Income Tax Act as applicable.

10) For the purpose of calculating hire charges payable Log Book shall be provided by the second party. From of the Log Book will be the same as maintained by the Central Government EPF Department for their official vehicle. The Log Book shall be maintained by the second party & it has to get the same verified on day to day basis from party either himself of through an Officer designated by him. After the completion of the contract, the Log Book shall be deposited by second party.

11) The time limit for reporting of the driver/vehicle should be followed strictly and in the case of delay of more than half an hour, the first party will be entitled to hire another Chauffer-driven vehicle and recover the charges for the same from the hiring charges payable to the second party, along with penalty of Rs. 1,000 / - per day of such default.

12) In cases timely and properly maintenance & repairs of the vehicle are not cared out by the second party, the first party will be within its right to carry out the repairs and deduct the amount from the hire charges payable. The hire agreement will be terminated if the vehicle is not kept in well-maintained condition by issuance of 15 days' notice in advance.

13) All the expenses and legal formalities relating to the vehicle/driver should be borne and performed by the second party.

14) The monthly hire charges will be inclusive of the all taxes, levies, cess, etc., except specifically provided otherwise.

15) The second party will submit a monthly bill for the hire charges for distance of 2300 Kms on or before 15 of the following month and payment will be made by the first party accordingly. However the total running of vehicle will be reviewed at the end of agreement. Payment for remaining mileage in excess (after the offset mentioned above) will be made at the rate of Rs. .... per K.M.

16) The duty hours for the drivers and vehicle will be from 9:00 AM to 7:00 PM on all days. In case of emergency driver can be retained for 24 hours duty and over time shall be allowed. In case the driver found to be under the influence of liquor or any other intoxication including drugs, penalty of Rs. 1,500/- shall be deducted.

17) The agreement will be effective for a period of one year w.e.f. date of awarding the contract.

18) In consideration of payment to be made by the first party to the second party as per the rates given the Annexure "B" the second party hereby covenants with the first **party** to provide the vehicle as mentioned in Annexure "A" on hire basis.

19) The first party hereby covenants to pay the second party the higher charges or such other sum as may become payable under the provision of the contracts with the first party to provide the vehicle as mentioned in Annexure "A" on hire basis.

20) The second party will be required to furnish Bank Guarantee/ Security deposit in the name of CBT EPF for an amount of 10% of the annual amount within 15 days of award of contract, which will be released to the second party on satisfied completion of the contract.

21) The car should not be older than 2 years, i.e. the manufacturing date of car should not be prior to year 2016.

22) All legal disputes are subject to Vapi Jurisdiction.

Name & Signature of Tenderer
With Rubber Stamp